प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 329 सन 2022
अनवान :–

1. दौलतराम पुत्र कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर।

वादी

बनाम

1. धन्नकोरी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
2. भागादेवी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
3. रोशनी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
4. मायादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपागढ जिला श्रीगंगागनर।
5. अमरसिह पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवारी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
6. कविता पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवारी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
7. प्रभातीराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
8. पायल पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
9. सतपाल पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
10. सुमित्रा पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवारी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
11. प्रियंका पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवारी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मायादेवी पत्नी कृष्णलाल ।
12. धर्मपाल पुत्र सरबती पत्नी बनवारीलाल जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजकुमार पुत्र सरबती पत्नी बनवारीलाल जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कुम्भाराम पुत्र धोकलराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहन एवं कुम्भाराम पुत्र धोकलराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 वादी के मृतक भाई कृष्णलाल के पुत्र/पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 वादी की मृतक बहन सरबती के पुत्र/पुत्रीया है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के मध्य परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी के पक्ष मे त्याग की हुई है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज नही है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पीठासीन अधिकारी

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कुम्भाराम पुत्र धोकलराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के मध्य वाद भूमि काश्त को लेकर परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा हुआ था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कुम्भाराम पुत्र धोकलराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहन एवं कुम्भाराम पुत्र धोकलराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 वादी के मृतक भाई कृष्णलाल के पुत्र/पुत्रीया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 वादी की मृतक बहन सरबती के पुत्र/पुत्रीया है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के मध्य परिवारिक समझौता /बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी के पक्ष मे त्याग की हुई है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज नही है जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.2650हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है कुम्भाराम पुत्र धोकलराम को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो कुम्भाराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के मध्य वाद भूमि काश्त को लेकर परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा हुआ था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.2650हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दौलतराम पुत्र कुम्भाराम जाति नायक निवास चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर।

वादी

बनाम

1 धन्नकोरी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
2. भागादेवी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
3. रोशनी पुत्री कुम्भाराम जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
4. मायादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगागनर।
5. अमरसिह पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
6. कविता पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
7. प्रभातीराम पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
8. पायल पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
9. सतपाल पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
10. सुमित्रा पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ
11. प्रियंका पुत्री कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 11 एसजेएम तहसील अनुपगढ नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मायादेवी पत्नी कृष्णलाल ।
12. धर्मपाल पुत्र सरबती पत्नी बनवारीलाल जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. राजकुमार पुत्र सरबती पत्नी बनवारीलाल जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 321 सन 2022 निर्णय दिनांक– 16/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 20/14 की कुल 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट............

Scanned with CamScanner